(104) (141)

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 22-10-2016

क्रमांकः 1239 /एफ 1–7/2007/13/1 :: राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ1–7/चयन समिति/ऊ.वि./2007/13/1 नया रायपुर दिनांक 31.08.2016 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया था। चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा–85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार सदस्य की नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है।

2. समिति के अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा–82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अरूण कुमार शर्मा, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, (कंसेल्टेंसी), एनटीपीसी (सेवानिवृत्त) को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है।

3. श्री अरूण कुमार शर्मा की नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी।

4. यह आदेश दिनांक 29.10.2016 से प्रभावशील होगा।

5. श्री अरूण कुमार शर्मा को देय वेतन, भत्ते के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तीरथ प्रसाद लड़िया)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पृ0क्रमांकः 1248 /एफ 1–7/2007/13/1 नया रायपुर, दिनांक 22-10-16

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. सचिव, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नया रायपुर
5. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
6. श्री अरूण कुमार शर्मा, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, (कंसेल्टेंसी), एनटीपीसी सेवानिवृत्त, 29/1111, आजाद चौक, ब्राम्हणपारा, रायपुर, (छ0ग0)
7. आयुक्त, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. सचिव, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
9. सचिव, छ0रा0 विद्युत नियामक आयोग, रायपुर
10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग/जनरेशन/ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन/ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर

—— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन कर 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग